

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

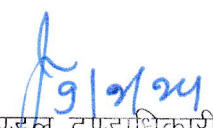
धारा 107 दं0प्र0सं0

प्रथम पक्ष – नरेन्द्र साहुबगैरह।

बनाम

वाद सं0 59/2023

द्वितीय पक्ष – घुरण साहु बगैरह।

आदेश की क० सं० एवं तिथि	दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना बसिया के अप्राथमिकी सं० 09/2023 दिनांक 08/07/2023 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) नरेन्द्र साहु उम्र 60 वर्ष पिता स्व० गंदुर साहु (2) दमयंती देवी उम्र 55 वर्ष पति नरेन्द्र साहु (3) गुरुचरण साहु उम्र 53 वर्ष पिता स्व० गंदुर साहु (4) दुलारी देवी उम्र 45 वर्ष पति गुरुचरण साहु (5) विवेकानंद साहु उम्र 20 वर्ष पिता गुरुचरण साहु सभी ग्राम कुलुसेरा थाना बसिया, जिला गुमला बनाम द्वितीय पक्ष (1) घुरण साहु उम्र 50 वर्ष पिता जीतवाहन साहु (2) कृष्णा साहु उम्र 48 वर्ष पिता स्व० करमु साहु (3) रिझु साहु उम्र 40 वर्ष पिता स्व० करमु साहु (4) इश्वर साहु उम्र 61 वर्ष पिता जीतवाहन साहु (5) सिकंदर साहु उम्र 35 वर्ष पिता स्व० सोमरा साहु सभी ग्राम कुलुसेरा, थाना बसिया जिला गुमला के बीच ग्राम कुलुसेरा के खाता सं० 11 प्लॉट सं० 318, 405, 416, 622 कुल रकबा 7.0 एकड़ 1 डिसमील जमीन को लेकर विवाद लाया गया है। फलस्वरूप द्वितीय पक्ष के द्वारा शांति एवं विधि व्यवस्था भंग होने की सम्भावना हो सकती है। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए :- उक्त वाद की कार्रवाई के दौरान उभय पक्ष के बीच किसी प्रकार से शांति भंग होने संबंधी सूचना थाना प्रभारी बसिया या अन्य स्रोत से अप्राप्त है। उक्त वाद की समय अवधि समाप्त हो चुकी है। अतः उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई के समयावधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त, एवं वाद की कार्रवाई समाप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई बिना गुण दोष के समाप्त की जाती है। लेखापित ।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया (गुमला)।	